मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3770

16.03.2026 को उत्तर के लिए

हरित क्षेत्र में कमी

3770. **श्री देवेश शाक्य:**

श्री बाबू सिंह कुशवाहा:

श्री नीरज मौर्य:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय वन नीति के उद्देश्यों के विपरीत, औद्योगिक विस्तार, अवैध वृक्ष कटाई और अवसंरचना परियोजनाओं के कारण बरेली, बदायूं, शाहजहाँपुर, एटा, कासगंज और जौनपुर जिलों में हरित क्षेत्र में चिंताजनक रूप से कमी आई है और यदि हाँ, तो विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान कमी का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त जिलों में विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए काटे गए पेड़ों के बदले प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (कैम्पा) के अन्तर्गत कितने पौधे लगाए गए हैं और जियो-टैगिंग के अनुसार वर्तमान में कितने पेड़ बचे हुए हैं;

(ग) क्या सरकार ने जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न बेमौसम बारिश और लू का उक्त जिलों में कृषि उत्पादकता पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में कोई वैज्ञानिक अध्ययन किया है; और

(घ) क्या राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अन्तर्गत असम्बद्ध शहरों की सूची में उक्त जिलों को शामिल कर इनके वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कोई विशिष्ट तकनीकी और बजटीय आवंटन सुनिश्चित किया गया है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री :

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक संगठन, भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई), देहरादून द्विवार्षिक रूप से देश के वन और वृक्ष आवरण का आकलन करता है और इसके निष्कर्ष भारत राज्य वन रिपोर्ट (आईएसएफआर) में प्रकाशित किए जाते हैं। वन आवरण आकलन एक व्यापक मानचित्रण प्रणाली है जो राष्ट्रीय वन सूची से गहन वास्तविक सत्यापन और क्षेत्र डेटा द्वारा समर्थित रिमोट सेंसिंग पर आधारित है। उत्तर प्रदेश राज्य के उपर्युक्त जिलों में वन क्षेत्र का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ख) प्रतिपूरक वनीकरण निधि (सीएएफ) अधिनियम, 2016 और इसके नियम, 2018 का उद्देश्य गैर-वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के उपयोग से वन आवरण और संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को होने वाले नुकसान को कम करना है। यह प्रतिपूरक वनीकरण, अवक्रमित वनों की बहाली, वन्यजीव प्रयावासों में वृद्धि और जैव विविधता संवर्धन जैसी कार्यविधियों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।

प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (काम्पा) के धन का उपयोग वनों, वन्यजीवों और पारिस्थितिक सेवाओं में सुधार और संवर्धन से संबंधित वनों की बेहतरी के लिए विभिन्न कार्यविधियों को करने के लिए किया जाता है जिसमें कृत्रिम पुनर्जनन, सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन, वनों की सुरक्षा, वन और वन्यजीव प्रबंधन से संबंधित वन संबंधी कार्यविधियां शामिल हैं।

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र काम्पा प्राधिकरण राष्ट्रीय काम्पा को अनुमोदन के लिए हर वर्ष वार्षिक संचालन योजना (एपीओ) प्रस्तुत करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में प्रतिपूरक वनीकरण के तहत शामिल किए गए क्षेत्र का विवरण नीचे दिया गया है। मंत्रालय स्तर पर जिलावार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं और यह रखरखाव संबंधित राज्य प्राधिकरणों द्वारा किया जाता हैं।

क्र. सं.	राज्य	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
		लक्ष्य (हे.में)	उपलब्धि (में)	लक्ष्य (हे.में)	उपलब्धि (हे.में)	लक्ष्य (हे.में)	उपलब्धि (हे.में)	लक्ष्य (हे.में)	उपलब्धि (हे.में)	लक्ष्य (हे.में)	उपलब्धि (हे.में)
1	उत्तर प्रदेश	1144.78	1136.58	1103.64	1091.43	1631.90	1604.68	1414.99	1288.60	2934.39	2839.78

उत्तर प्रदेश के वन क्षेत्र में आईएसएफआर 2021 और आईएसएफआर 2023 के बीच 118.43 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है।

(ग) मंत्रालय ने जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली बेमौसम वर्षा और लू के कृषि उत्पादकता पर पड़ने वाले प्रभाव पर उक्त जिलों में कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया है।

(घ) राष्ट्रीय, राज्य और शहर स्तर की स्वच्छ वायु कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से देश के 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 130 शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए जनवरी 2019 में मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) शुरू किया गया था।

सभी 130 शहरों द्वारा संबंधित शहरों में वायु गुणवत्ता सुधार उपायों को लागू करने के लिए शहर विशिष्ट स्वच्छ वायु कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं। ये योजनाएं मिट्टी और सड़क की धूल, वाहनों के उत्सर्जन, अपशिष्ट जलाने, निर्माण और विध्वंस गतिविधियों और औद्योगिक प्रदूषण जैसे वायु प्रदूषण स्रोतों को लक्षित करती हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, एटा, कासगंज और जौनपुर जिलों में से बरेली शहर को अवमानक शहर के रूप में पहचाना गया है जहां पीएम10 का स्तर लगातार 5 वर्षों की अवधि के लिए राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों (एनएएक्यूएस) से अधिक रहा है।

शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए शहरी कार्य योजना को लागू करने के लिए बरेली शहर को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत वायु गुणवत्ता प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन के रूप में 130.17 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। एनसीएपी के तहत समन्वित प्रयासों के कारण, शहर के वायु गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है, जिसमें पीएम10 का स्तर वित्तीय वर्ष 2017-18 में 207 माइक्रोग्राम/मीटर^3 से घटकर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 48 माइक्रोग्राम/मीटर^3 हो गया है, जो 76.8% की वृद्धि दर्शाता है।

अनुलग्नक

'हरित आवरण में कमी' के संबंध श्री देवेश शाक्य और अन्य द्वारा दिनांक 16.03.2026 को उत्तर के लिए पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3770 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

आईएसएफआर 2019 और आईएसएफआर 2023 से उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, एटा, कासगंज और जौनपुर जिलों का वन आवरण

(वन आवरण वर्ग किलोमीटर में)

क्र.सं.	जिले	आईएसएफआर 2019 के अनुसार वन आवरण	आईएसएफआर 2023 के अनुसार वन आवरण
1	बरेली	45.00	39.07
2	बदायूं	32.04	27.90
3	शाहजहाँपुर	59.31	60.39
4	एटा	26.18	20.82
5	कासगंज/कांशीराम नगर	48.80	41.97
6	जौनपुर	67.02	64.00